

उनवानी प्रकरण:- सरकार बनाम बिस्मिल्लाह


मु.न.:-05/2026

कि०मु०:- प्रार्थना पत्र

धारा 136 एल.आर. एक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय निशियल्स जज	नम्बर व तारीख
05.02.2026	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बिस्मिल्लाह बानों पत्नि स्व. मीर खान निवासी छाण के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया गया है कि प्रार्थी ग्राम छाण के सम्बत् 2077-2080 के खाता संख्या 33, 514 में रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिसमें प्रार्थी का नाम बिसमिल्ला बेवा मीरखां के स्थान पर सही नाम बिस्मिल्लाह बानों पत्नि स्व. मीर खान शुद्ध किये जाने का निवेदन किया गया। जिसकी जांच तहसीलदार खण्डार द्वारा करवाये जाने पर तहसीलदार खण्डार से प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का सही नाम बिस्मिल्लाह बानों पत्नि स्व. मीर खान है जिसे दुरुस्त किये जाने की अभिशंषा की गई।</p> <p>पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं तहसीलदार खण्डार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। जिसमें प्रार्थी का सही नाम बिस्मिल्लाह बानों पत्नि स्व. मीर खान होना अंकित है।</p> <p>प्रार्थी की खातेदारी उक्त खातेदारी भूमि के खाता संख्या 33, 514 में बिसमिल्ला बेवा मीरखां के स्थान पर सही नाम बिस्मिल्लाह बानों पत्नि स्व. मीर खान शुद्ध किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। तहसीलदार खण्डार को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्त किया जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।</p>	




उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स० मा०)

